



W 320548

10

सकमात्र स्वामी व मालिक होंगे जिनको वह अपने पास रखे या किसी भी दीगर व्यक्ति को विक्रय, किराये पर उठावे, हस्तान्तरित करे, या उसका प्रतिलिपि स्वयं प्राप्त करे। द्वितीयपक्ष को कोई आपत्ति व हस्तक्षेप कभी नहीं होगा तथा प्रथमपक्ष के 4 फोटों को छोड़कर समस्त कागजलेख में निम्नलिखित सभी फोटों व दीगर तामील के स्वामी व सकमात्र अधिष्ठात्री द्वितीयपक्ष होंगे जिनको वह स्वयं अपने पास रखे या किसी भी दीगर व्यक्ति को विक्रय करे, किराये पर उठावे हस्तान्तरित करे या अन्तरित करे, तथा उसका निर्मित प्रतिलिपि प्राप्त करे इसमें प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति व हस्तक्षेप कभी नहीं होगा।

